Cooperative Press, Jaipur/2014

प्ररूप–2

[नियम 13(3) देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आक्षेप के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

..... पंचायत समिति।

महोदय,

मैं पंचायत वृत्त.....के वार्ड संख्या.....की निर्वाचक नामावली में उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ।

<table>
<tr><td rowspan="2">1. उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया हैं :</td><td>नाम</td><td>माता / पिता / पति का नाम</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>वार्ड सं.</td><td>मतदाता सूची का क्रम संख्यांक</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. आक्षेपकर्ता का ब्यौरा</td><td>नाम</td><td>माता / पिता / पति का नाम</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>लिंग* (स्त्री/पुरूष/अन्य)</td><td>वार्ड सं.</td><td>मतदाता सूची का क्रम संख्यांक</td></tr>
<tr><td colspan="3">सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td colspan="3">मकान / द्वार संख्यांक :</td></tr>
<tr><td colspan="3">मार्ग / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़क :</td></tr>
<tr><td colspan="3">नगर / ग्राम :</td></tr>
<tr><td colspan="2">डाकघर :</td><td>पिन कोड</td></tr>
<tr><td>तहसील :</td><td>पंचायत समिति :</td><td>मोबाईल सं. (यदि कोई हो) :</td></tr>
<tr><td colspan="2">जिला :</td><td>ई–मेल (यदि कोई हो) :</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. आक्षेप (आक्षेपों) के लिए कारण :</td></tr>
</table>

* यदि किन्नर/लिंग परिवर्तन कराने वाले अपना लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते हैं तो वे अपना लिंग 'अन्य' लिखें।